

13/6/2018

पत्राचार के अभाव में अतिरिक्त प्रतिलिपि
 अनुपस्थित है। काकाज लागू नहीं है। अतिरिक्त
 प्रतिलिपि अभाव में प्रतिलिपि स्वयं
 उपस्थित नहीं है। अतः प्रकाशक के पास
 हाजरी के दस्तावेजों में खारीज किया
 जाता है। पत्राचार के अभाव में शुभानु होकर
 नमूने से काम ही एक बार संख्या
 257/2018 के साथ प्रमाण की जावे।

2018
 00226



(श्याम सुन्दर मिश्रा)
 महाकाय कलेक्टर एवं
 उपस्थित अधिकारी
 बिर्सागढ़ (राज.)